पवन कुमार गोएल

बनाम

यू. पी. और एक और राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1999)

/

नवंबर 17,2022

[कृष्णा मुरारी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे।**]**

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss.138, 141, 142 – क्या किसी कंपनी का निदेशक यू/एस के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।138 कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित किए बिना एन. आई. अधिनियम-आयोजितःयदि शिकायतकर्ता यू/एस के तहत अपराध करने की शिकायत में कंपनी के खिलाफ विशिष्ट कथन करने में विफल रहता है।138 एन. आई. अधिनियम के तहत, आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेकर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।141 काल्पनिक मान कर प्रत्यावर्ती दायित्व अधिरोपित करना जो कंपनी या फर्म द्वारा अपराध करने का पूर्व-अनुमान लगाता है और जिसकी आवश्यकता होती है-इसलिए, जब तक कि कंपनी या फर्म ने प्रमुख अभियुक्त के रूप में अपराध नहीं किया है, तब तक उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्ति प्रत्यावर्ती देयता के सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

/

/

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-ss.138, 141, 142 – चाहे शिकायत यू/एस।138 एन. आई. अधिनियम कंपनी के निदेशक के खिलाफ इस शिकायत में उनके किसी भी दावे के बिना कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा कि निदेशक को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो कंपनी के संचालन और व्यवसाय के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था-आयोजितःयह तय किया जाता है कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रत्यावर्ती दायित्व तब उत्पन्न होता है जब

वह भौतिक समय पर कंपनी का प्रभारी था और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था-केवल इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके-तत्काल मामले में, शिकायत में किए गए कथनों का अवलोकन संदेह की छाया से परे दिखाता है कि ऐसा कोई कथन नहीं है जो प्रतिवादी नहीं है। 2 (कंपनी के निदेशक), उस समय जब अपराध किया गया था, कंपनी के प्रभारी थे, और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे।

/

/

/

/

102 ए.

103

पवन कुमार गोल बनाम यू. पी. राज्य और एक अन्य ए.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** शिकायत में प्रतिवादी**-**अभियुक्त का विवरण यह है कि हालांकि प्रतिवादी**-**अभियुक्त को आरओएल के निदेशक के रूप में वर्णित किया गया था**,** लेकिन कंपनी को स्वयं शिकायत में एक पक्ष के रूप में नहीं रखा गया था।शिकायत में किए गए कथनों का अवलोकन भी संदेह की छाया से परे दिखाता है कि ऐसा कोई कथन नहीं है जो प्रतिवादी नहीं है। **2,** उस समय जब अपराध किया गया था**,** वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था।यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ रहा है कि यदि शिकायतकर्ता एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **138** के अंतर्गत अपराध करने की शिकायत में कंपनी के खिलाफ विशिष्ट कथन करने में विफल रहता है**,** तो आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेकर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।कहने की आवश्यकता नहीं है कि धारा **141** के प्रावधान काल्पनिक मानते हुए प्रत्यावर्ती दायित्व लागू करते हैं जो कंपनी या फर्म द्वारा अपराध करने का पूर्व**-**अनुमान लगाता है और इसकी आवश्यकता होती है।इसलिए**,** जब तक कंपनी या फर्म ने प्रमुख अभियुक्त के रूप में अपराध नहीं किया है**,** तब तक उप**-**धारा **(1)** और **(2)** में उल्लिखित व्यक्ति प्रत्यावर्ती देयता के सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।**[**पारस **18** और **19] [115-**सी**-**एच**]**

/

/

/

2. अपीलार्थी के वकील द्वारा दिए गए तर्क कि शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त अभियुक्त को शामिल किया जा सकता है**,** एन**.** आई**.** अधिनियम की धारा **142** के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित सीमा समाप्त होने के बाद कोई विचार योग्य नहीं है। विशेष रूप से**,** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी किसी परिस्थिति या कारण को इंगित किया गया है जो न्यायालय को धारा **142** के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है**,** ताकि निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने के लिए देरी को माफ किया जा सके।**[**पैरा **23] [119-**ई**-**जी**]**

/

/

/

3. तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल और अन्य के मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर भी ध्यान दिया**,** जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रत्यावर्ती दायित्व तब उत्पन्न होता है जब वह भौतिक समय पर कंपनी में था।

/

कंपनी के प्रभारी थे और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए भी कंपनी के प्रति उत्तरदायी थे। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है**,** इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके विपरीत**,** एक निदेशक के बिना एक व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है।पीठ ने के**.** पी**.** जी**.** नायर बनाम के मामले में इस न्यायालय के कथन पर भी विचार किया। जिंदल मेन्थॉल इंडिया लिमिटेड**,** जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत भी एक मामला था। उक्त मामले में**,** यह पाया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट शब्दों में या उसमें निहित आरोपों के संदर्भ में ऐसा मामला नहीं बनाते हैं कि अपराध करने के समय**,** अपीलार्थी कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा **141** की आवश्यकता को पूरा

नहीं किया गया और अभियुक्त के खिलाफ शिकायत को रद्द कर दिया गया।**[**पारस **28** और **29] [123-**एच**; 124-**ए**-**डी**]**

/

/

अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड

/

(2012) 5 एससीसी 661:[2012] 5 एस. सी. आर. 503; एस.एस.

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनामनीता भल्ला एंड अदर **(2005)**

8 एससीसी 89:[2005] 3 पूरक।एस. सी. आर. 371; हरियाणा राज्य बनाम बृज लाल मित्तल और अन्य। (1998) 5 एससीसी 343:[1998] 3 एस. सी. आर. 104-निर्भर।

/

N.Harihara कृष्णन बनाम जे**.** थॉमस **(2018) 13** एससीसी **663:[2017] 9** एस**.** सी**.** आर**. 324;** बिलकचंद ज्ञानचंद कं**.** बनामए**.**

चिन्नास्वामी (1999) 5 एससीसी 693:1999 (10) जेटी 236;

रजनीश अग्रवाल बनाम अमित।जे**.** भल्ला **(2001) 1** एससीसी **631:[2001] 1** एस**.** सी**.** आर**. 54;** हिमांशु बनाम बी**.** शिवमूर्ति और

/

एक और (2019) 3 एससीसी 797:[2019] 1 एससीआर 991; के. के. आहूजा बनाम वी. के. वोरा और अन्र। (2009) 10 एससीसी 48:[2009] 9

एससीआर **1144;** के**.** पी**.** जी**.** नायर बनाम जिंदल मेन्थॉल इंडिया लिमिटेड

(2001) 10 एससीसी **218:2000 (1)** पूरक।जेटी **519**।**-** संदर्भित किया गया।

/

संदर्भित निर्णय

[2012] 5 एससीआर **503**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2005] 3 पूरक।एससीआर **371**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2017] 9 एससीआर **324**

संदर्भित

पैरा **10.3** ए

/

105

पवन कुमार गोल बनाम यू. पी. राज्य और एक अन्य ए.

[2001] 1 एससीआर **54**

पैरा **10.3** में संदर्भित

[2019] 1 एससीआर **991**

संदर्भित

पैरा **11.2**

[2009] 9 एससीआर **1144**

पैरा **16** को संदर्भित किया गया

[1998] 3 एससीआर **104**

पैरा **28** पर निर्भर

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1999।

2013 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 24632 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 19.11.2019 से।

/

सह

2022 की आपराधिक अपील संख्या 2000,2001,2002 और 2003।

अनुभव कुमार, अभिषेक स्वरूप, मेसर्स मनोज स्वरूप एंड कंपनी, एड.अपीलार्थी के लिए।

/

विश्व पाल सिंह, राहुल वर्मा, आदेश कुमार गिल, मोहम्मद।आलिम खान, विकास गोथवाल, शांतनु कृष्ण, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

/

अनुमति दी गई।

2. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, मुजफ्फरनगर (जिसे इसके बाद "मजिस्ट्रेट" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित समन आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर (जिसे इसके बाद "सत्र न्यायालय " के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग करने वाली प्रत्यर्थियों द्वारा दायर चार आपराधिक विविध रिट याचिकाओं में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय " के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपीलें निर्देशित की गई हैं।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को अनुज्ञात कर लिया और 18.03.2013 दिनांकित समन आदेश के साथ-साथ 02.12.2013 दिनांकित आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

/

/

3. चूंकि वर्तमान अपीलें उसी अपीलार्थी द्वारा उसी आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की जाती हैं, इसलिए संक्षिप्तता के लिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है। विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) से उत्पन्न आपराधिक अपील। 2020 की संख्या 1697 को एक के रूप में लिया जाता है

/

प्रमुख मामले और उसके तहत तैयार किए गए पक्षों को अन्य मामलों के लिए भी उसी तरीके से लिया जाना चाहिए।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमिः

4. अपीलार्थी 'मेसर्स पवन हार्डवेयर स्टोर' के नाम और शैली के अंतर्गत मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है।इसमें प्रतिवादी संख्या 2 रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के निदेशक में से एक है, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण और बिक्री में लगी हुई है।उन दोनों का व्यावसायिक लेन-देन था और रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का अपीलार्थी के साथ चालू खाता था।प्रत्यर्थी संख्या 2 पर आरोप है कि उसने रुपये की राशि के लिए खाता पाने वाले का चेक जारी किया है। अपीलार्थी द्वारा बनाई गई सामग्री की आपूर्ति के लिए अपने दायित्व के निर्वहन के लिए अपीलार्थी के पक्ष में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरनगर में देय 10 लाख।जब अपीलार्थी ने बैंकर के सामने चेक प्रस्तुत किया, तो 24.12.2012 पर इसका अपमान किया गया।इसके बाद, अपीलार्थी ने पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 01.01.2013 का एक कानूनी नोटिस भेजा, जो हालांकि दिया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 2 से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

/

/

/

5. नोटिस देने के बावजूद, जब न तो अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई और न ही भुगतान किया गया, तो अपीलार्थी ने प्रतिवादी नं. 2 धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (इसके बाद 'एन. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए इन आरोपों पर कि खाता प्राप्तकर्ता पर सं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरनगर की 802276, प्रत्यर्थी सं. 2 बकाया बिलों के प्रति जब निकासी के लिए प्रस्तुत किया गया तो इस आधार पर उनका अपमान किया गया कि चेक राशि व्यवस्था से अधिक है।

/

/

6. मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायत का संज्ञान लिया और अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 (इसके बाद 'Cr.P.C' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराने की अपेक्षा की।हालाँकि, 07.02.2013 पर, अपीलार्थी ने इस आशय का एक शपथपत्र दायर किया जिसमें मांग की गई कि इसे धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक बयान के रूप में पढ़ा जाए। मजिस्ट्रेट ने 2013 के आपराधिक मामले संख्या 162 में मुकदमे के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को समन करने के लिए दिनांक 18.03.2013 का आदेश पारित किया।

/

7. दिनांकित 18.03.2013 समन आदेश से व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी सं. 2 ने सत्र न्यायालय के समक्ष 2013 का आपराधिक संशोधन सं. 212 दायर किया।दिनांक

02.12.2013 के आदेश के माध्यम से, सत्र न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि चेक ए के खिलाफ जारी किया गया था।

/

107

पवन कुमार गोल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

प्रत्यर्थी संख्या 2 और अपीलार्थी के बीच वाणिज्यिक लेन-देन से उत्पन्न बकाया भुगतान।

8. आपराधिक संशोधन को खारिज किए जाने से व्यथित प्रतिवादी संख्या 2 ने 2013 की आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 24632 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 18.02.2013 के समन आदेश और सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 02.12.2013 के आदेश को भी रद्द करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और दिनांक 19.11.2019 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका की अनुज्ञात और मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 18.3.2013 के समन आदेश सहित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसमें अनीता हाडा बनाम गॉडफादर के मामले में इस अदालत के निर्णय पर भरोसा किया गया था।

/

/

ट्रेवल्स एंड टूर्स प्रा. लि. लिमिटेड 1 और एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। बनाम. नीता भल्ला और एक अन्य।/

8.1 आक्षेपित निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः-

“वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शिकायत के अनुसार, निदेशक, देवेंद्र कुमार गर्ग-याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय रोड, सिविल लाइन्स, मुजफ्फर नगर के पास पवन हार्डवेयर स्टोर, संदीप टॉकीज़ के लिए चेक जारी किया गया था।शिकायत में यह नहीं कहा गया है कि देवेंद्र कुमार गर्ग अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रभारी और संचालन के लिए जिम्मेदार थे और इसलिए वह आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।यह ध्यान दिया जा सकता है कि रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, नई मंडी, मुजफ्फर नगर नाम की फर्म, जो प्रमुख आरोपी थी, को शिकायत में पक्षकार नहीं बनाया गया है जैसा कि ऊपर कहा गया है और साथ ही अधिनियम की धारा 141 की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिकायत में किए जाने वाले आवश्यक अभिकथन में भी अभियोजन बनाए रखने की कमी है जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में माना गया है।मामले के इस दृष्टिकोण में, शिकायत अपने आप में विधि और उसके अनुसरण में पूरी कार्यवाही में खराब है, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 18.3.2013 का समन आदेश भी शामिल है।2013 के आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, मुजफ्फर नगर, पवन कुमार गोयल बनाम। देवेंद्र कुमार गर्ग, धारा 138 एन. आई. अधिनियम, पी. एस. सिविल लाइन्स के अंतर्गत ,

/

/

/

/

1 (2012) 5 एससीसी 661 2 (2005) 8 एससीसी 89

/

108 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

जिला मुजफ्फर नगर के साथ-साथ 2.12.2013 दिनांकित आदेश अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया।2013 के आपराधिक संशोधन संख्या 212 में सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, मुजफ्फरनगर, देवेंद्र कुमार गर्ग बनाम। पवन कुमार गोयल और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और उसे रद्द किया जा सकता है। "

9. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनुभव कुमार और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विश्व पाल सिंह को सुना है।

/

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री अनुभव कुमार ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को देय सामग्री की आपूर्ति के बकाया भुगतान के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा जारी चेक का अपमान किया गया था और इसलिए प्रत्यर्थी परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का दोषी है और उसे विचारण विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे का सामना करने के लिए सीधे बुलाया गया था।उन्होंने आगे कहा कि समन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को भी सही ढंग से खारिज कर दिया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने और समन आदेश के साथ-साथ कार्यवाही को रद्द करने में विधि की एक स्पष्ट त्रुटि की।

/

/

10.1 यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने उस प्रतिवादी नं. की सराहना नहीं करने में गलती की। 2 को उसके नाम से वर्गीकृत किया गया था

रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में और एक के कारण

टाइपोग्राफिक त्रुटि के कारण कंपनी को अभियुक्त संख्या के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सका। 2 नाम से शिकायत में, हालांकि उसके विवरण का उल्लेख अभियुक्त सं.1.

/

10.2.उन्होंने आगे कहा कि शिकायत में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के प्रत्येक तत्व का गठन करने वाले सभी आवश्यक तथ्यात्मक आरोप हैं और एन. आई. अधिनियम या आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, जो शिकायत में संशोधन या शिकायत दर्ज करने के बाद किसी अतिरिक्त आरोपी को शामिल करने से रोकता है।

/

10.3 इस न्यायालय के निर्णयों पर अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त दलीलों का समर्थन करने के लिए भरोसा रखा गया है।

/

N.Harihara कृष्णन बनाम जे**.** थॉमस **3,** बिलकचंद ज्ञानचंद कंपनी। बनाम ए**.** चिन्नास्वामी **4** और रजनीश अग्रवाल बनाम अमित।जे**.** भल्ला **5.**

3 (2018) 13 एससीसी 663 4 (1999) 5 एससीसी 693 5 (2001) 1 एससीसी 631 ए

/

11. जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समन आदेश गलत है क्योंकि शिकायत में कंपनी को आरोपी के रूप में प्रस्तुत किए बिना कार्यवाही स्वयं बनाए रखने योग्य नहीं है।

11.1 यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह निर्णयों के एक समूह द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि कंपनी के खाते से जारी किए गए चेक के अपमान के संबंध में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की ओर से शिकायत में आवश्यक अभिकथन करना अनिवार्य है कि जिस समय अपराध किया गया था, उस समय आरोपी व्यक्ति कंपनी के संचालन और व्यवसाय के लिए प्रभारी और जिम्मेदार था।यह अभिकथन एन. आई. अधिनियम की धारा 141 की एक अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत में कमजोरी को कंपनी को फंसाने या अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कंपनी द्वारा अपराध करने के संबंध में विशिष्ट कथन नहीं करने के लिए, इलाज योग्य नहीं कहा जा सकता है।

/

/

/

11.2 विवाद के समर्थन में रिलायंस को प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर रखा गया था

अनीता हाडा (सुप्रा), एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (सुप्रा), और हिमांशु बनाम बी. शिवमूर्ति और अन्य 6.

12. इस अपील में दो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं

/

ये हैंः-

(1) क्या किसी कंपनी का निदेशक कंपनी को आरोपी बनाए बिना एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) क्या एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत कंपनी के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी, इस शिकायत में कोई दावा किए बिना कि निदेशक को एक आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वह कंपनी के संचालन और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार था।13. उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, उस मूल प्रावधान का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो चेक के अपमान के लिए चूककर्ता पर आपराधिक दायित्व स्थापित करता है, यानी एन. आई. अधिनियम की धारा 138। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 निम्नानुसार हैः-

/

/

/

6 (2019) 3 एस. सी. सी. 797

“138. खाते में धन की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर।**—**

जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते से निकाला गया कोई चेक बैंक द्वारा भुगतान किए बिना वापस कर

दिया जाता है, या तो इस कारण से कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान करने के लिए व्यवस्थित राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने वाला माना जाएगा और इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे कारावास [एक अवधि जो दो साल तक बढ़ाई जा सकती है], या जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो चेक की राशि से दोगुनी हो सकती है, या दोनों के साथः

/

/

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि -

/

(क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया है;

(ख) प्रापक या धारक, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में, चेक की वापसी के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के [तीस दिनों के भीतर] चेक के ड्रॉअर को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है; और

/

/

(ग) इस तरह के चेक का आहरणकर्ता उक्त सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, चेक के नियत समय में, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व। "

/

14. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 प्रत्येक व्यक्ति के लिए दायित्व का विस्तार करते हुए कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से संबंधित है; जो अपराध किए जाने पर व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था जो निदेशक जैसे प्रमुख प्रबंधकीय पदों तक भी फैला हुआ था।एन. आई. अधिनियम की धारा 141 निम्नानुसार हैः- ए.

/

141. कंपनियों द्वारा अपराध।—

(1) यदि धारा 138 के अंतर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था, और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगाः

/

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी किसी व्यक्ति को दंड के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा यदि वह यह साबित करता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या कि उसने ऐसे अपराध को करने से रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का प्रयोग किया थाः

/

बशर्ते कि जहां किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले वित्तीय निगम में, जैसा भी मामला हो, किसी पद या नियुक्ति के आधार पर कंपनी के निदेशक के रूप में नामित किया जाता है, वह इस अध्याय के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

/

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित होता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

/

/

स्पष्टीकरण .— इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और

/

((ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म में भागीदार अभिप्रेत है।

15. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और धारा 141 के एक नंगे अवलोकन से संकेत मिलता है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 आपराधिक दायित्व को एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय बनाती है जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या

/

एक जुर्माना जो चेक की राशि के दोगुने तक हो सकता है, या दोनों के साथ एक ऐसे व्यक्ति पर हो सकता है जो पूर्ण या आंशिक रूप से ऋण या देयता के निर्वहन के लिए चेक जारी करता है और चेक प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उसका अनादर किया जाता है।जबकि धारा 141 कंपनी के मामले में ऐसे आपराधिक दायित्व का विस्तार हर उस व्यक्ति के लिए करती है जो अपराध के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।

/

16. के**.** के**.** आहूजा बनाम वी**.** के**.** वोरा और अन्र के मामले अंतर्गत इस न्यायालय की दो**-**न्यायाधीशों की पीठ। **7** अधिनियम की धारा **141** अंतर्गत निहित प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद**,** निम्नलिखित रूप अंतर्गत देखा गया**:-**

“16. धारा 141 को ध्यान में रखते हुए, जब किसी कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित) द्वारा जारी किए गए चेक का अपमान किया जाता है, तो कंपनी के अलावा, निम्नलिखित व्यक्तियों को अपराध का दोषी माना जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगाः

/

((i) प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था;

/

((ii) कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिसकी सहमति और मिलीभगत से धारा 138 के अंतर्गत अपराध किया गया है; और

/

(iii) कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी जिसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध हुआ है, जिसे कंपनी द्वारा किया

जा रहा है।जबकि पहली श्रेणी के व्यक्तियों का दायित्व धारा 141 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उत्पन्न होता है, श्रेणियों (ii) और (iii) में उल्लिखित व्यक्तियों का दायित्व उप-धारा (2) के अंतर्गत उत्पन्न होता है।अतः अधिनियम की योजना यह है कि एक व्यक्ति जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी है और जो कंपनी के व्यवसाय का प्रभारी है, वह केवल उप-धारा (1) की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है।लेकिन अगर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी नहीं था, तो उसे केवल तभी उत्तरदायी बनाया जा सकता है जब अपराध था

/

/

/

उसकी सहमति या मिलीभगत से या उसकी लापरवाही के परिणामस्वरूप किया गया।

17. धारा 138 के अंतर्गत एक कंपनी द्वारा अपराध के लिए आपराधिक दायित्व, एक कानूनी कल्पना के आधार पर धारा 141 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर परोक्ष रूप से लगाया जाता है।दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए।रचनात्मक प्रत्यावर्ती दायित्व प्रदान करने वाले दंडात्मक कानूनों का बहुत अधिक सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।जब दूसरों के लिए इस तरह के रचनात्मक आपराधिक दायित्व को बढ़ाने के लिए शर्तें निर्धारित की जाती हैं, तो अदालतें सख्त शाब्दिक अनुपालन पर जोर देंगी।अनुमानित या निहित अनुपालन का कोई प्रश्न ही नहीं है।इसलिए, धारा 141 की आवश्यकताओं का पालन करने वाला एक विशिष्ट कथन अनिवार्य है।जैसा कि के. श्रीकांत सिंह बनाम नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटीज लिमिटेड-2007 (12) एस. सी. सी. 788 में बताया गया है, केवल यह तथ्य कि किसी समय कंपनी के एक अधिकारी ने कंपनी के वित्तीय मामलों में कुछ भूमिका निभाई थी, अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत रचनात्मक दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

/

/

/

18. धारा 141 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि एक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, हालांकि कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी नहीं है, उत्तरदायी होगा यदि अपराध उसकी सहमति या मिलीभगत से किया गया था या यदि अपराध उसकी ओर से किसी लापरवाही का परिणाम था।उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्तियों का दायित्व किसी कानूनी कल्पना के कारण नहीं है, बल्कि विशिष्ट भूमिका निभाई गई है-सहमति और मिलीभगत या लापरवाही।यदि किसी व्यक्ति को धारा 141 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उत्तरदायी बनाया जाना है, तो उसकी सहमति और मिलीभगत या लापरवाही से बचना आवश्यक है। "

/

/

17. एन. आई. अधिनियम की धारा 141 का दायरा फिर से व्यापक था।

एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गयाः

“10. ....यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को धारा 141 के अंतर्गत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की जाती है, उन्हें अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

/

कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा।यह केवल वे व्यक्ति हैं जो व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे

/

अपराध के समय कंपनी, जो होगी

आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी।इससे यह पता चलता है कि यदि किसी कंपनी का निदेशक जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, तो वह प्रावधान के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा।द.

दायित्व अपराध के समय संगत समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होता है, न कि केवल किसी कंपनी में पदनाम या पद धारण करने के आधार पर।इसके विपरीत, ए

/

कंपनी में कोई पद या पद नहीं रखने वाला व्यक्ति उत्तरदायी हो सकता है यदि वह प्रासंगिक समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने की मुख्य

आवश्यकता को पूरा करता है।देयता कंपनी के मामलों में किसी की भूमिका पर निर्भर करती है न कि पदनाम या स्थिति पर।यदि निदेशक या प्रबंधक या सचिव होना आपराधिक दायित्व डालने के लिए पर्याप्त था, तो अनुभाग ने ऐसा कहा होगा।"प्रत्येक व्यक्ति" के बजाय अनुभाग ने कहा होगा कि "कंपनी में प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव उत्तरदायी है।" आदि।विधायिका इस बात से अवगत है कि यह आपराधिक दायित्व का मामला है जिसका अर्थ है कि जहां तक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है, उसके गंभीर परिणाम हैं।इसलिए केवल

/

/

जिन व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि वे संबंधित समय पर अपराध करने से जुड़े हुए हैं**,** उन्हें कार्रवाई के अधीन किया गया है।

/

18. संक्षेप में, लगभग सर्वसम्मत न्यायिक राय है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करने से पहले शिकायत में आवश्यक कथन शामिल किए जाने चाहिए।एक दायित्व

अधिनियम की धारा **141** के अंतर्गत किसी कंपनी से जुड़े व्यक्ति पर परोक्ष रूप से मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है**,** जिसमें प्रमुख आरोपी कंपनी ही है।यह प्रत्यावर्ती दायित्व के खिलाफ आपराधिक विधि में नियम से एक विचलन है।जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है**,** उसके खिलाफ शिकायत में एक स्पष्ट मामला लिखा जाना चाहिए।अधिनियम की धारा **141**

/

इसमें उक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकताएं शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी धारा 141 के मापदंडों के भीतर आता है।एक शिकायत

/

मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें निहित अभिकथनों के आधार पर पहली बार जांच की जानी चाहिए।यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि ऐसे कथन हैं जो मामले को धारा **141** के भीतर लाते हैं**,** तो वह प्रक्रिया जारी करेगा।हमने ए देखा है

/

पवन कुमार गोल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

कि केवल किसी कंपनी में निदेशक के रूप में वर्णित किया जाना धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यहां तक कि एक गैर-निदेशक भी अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी हो सकता है। शिकायत में किए गए अभिकथन इस उद्देश्य को भी पूरा करेंगे कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहता है, उसे पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ क्या मामला है।यह उसे मुकदमे में मामले का सामना करने में सक्षम बनाएगा। "

/

(जोर दिया गया**)**

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, अनुलग्नक पी-1 के रूप में दायर शिकायत का अवलोकन स्पष्ट रूप से दो तथ्यों को स्थापित करता हैः- (i) शिकायत अंतर्गत निहित प्रतिवादी-अभियुक्त का विवरण निम्नानुसार हैः-

/

“श्री देवेंद्र कुमार गर्ग, पुत्र लाला जगदीश प्रसाद गर्ग, निदेशक, रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, 19-ए, नई मंडी, पुलिस स्टेशन-नई मंडी, जिला-मुजफ्फरनगर। "

/

उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि हालांकि प्रतिवादी-अभियुक्त को रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन कंपनी को स्वयं शिकायत में एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

/

((ii) शिकायत में किए गए अभिकथनों का अवलोकन संदेह की छाया से परे दिखाता है कि ऐसा कोई अभिकथन नहीं है जो प्रतिवादी नहीं है। 2, उस समय जब अपराध किया गया था, वह कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था।
19. यह न्यायालय इस बात पर दृढ़ रहा है कि यदि शिकायतकर्ता एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध करने की शिकायत में कंपनी के खिलाफ विशिष्ट कथन करने में विफल रहता है, तो आपराधिक न्यायशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों का सहारा लेकर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है।कहने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 141 के प्रावधान काल्पनिक मानते हुए प्रत्यावर्ती दायित्व लागू करते हैं जो कंपनी या फर्म द्वारा अपराध करने का पूर्व-अनुमान लगाता है और इसकी आवश्यकता होती है।इसलिए, जब तक कंपनी या फर्म ने प्रमुख अभियुक्त के रूप में अपराध नहीं किया है, तब तक उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्ति प्रत्यावर्ती देयता के सिद्धांतों के आधार पर दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

/

/

/

116

/

[2022] 10 एस सी आर।

20. इस संबंध में हिमांशु बनाम मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के एक अन्य निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है।

बी. शिवमूर्ति और एक अन्य (सुप्रा), तथ्य जिनमें एक स्पष्ट तथ्य है

वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ समानता, इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि कंपनी को एक आरोपी के रूप में आरोपित किए बिना केवल निदेशक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी और क्या कंपनी को बाद में एक आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है, यह निम्नानुसार देखा गयाः-

/

“11. वर्तमान मामले में, न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड इंगित करता है कि लक्ष्मी सीमेंट एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक के रूप में अपीलार्थी द्वारा चेक निकाला गया था।केवल अपीलार्थी को मांग का नोटिस दिया गया था।कंपनी को आरोपी बनाए बिना केवल अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी।

/

12. धारा 141 के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि धारा 138 के अंतर्गत अपराध करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है, तो 4 (2018) 13 एससी 663 प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय अपराध किया गया था, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या जिम्मेदार था, उसे अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगा।

/

/

13. कंपनी के अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत इसलिए विचारणीय नहीं थी।अपीलार्थी ने कंपनी के निदेशक के रूप में और उसके लिए और उसकी ओर से चेक पर हस्ताक्षर किए थे।इसके अलावा, कंपनी को मांग की सूचना दिए जाने के अभाव में और धारा 138 के प्रावधान का पालन किए बिना, उच्च न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि कंपनी को अब एक आरोपी के रूप में आरोपित किया जा सकता है। "

/

21. यह मुद्दा तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से समाप्त होता है।

अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड के मामले में इस न्यायालय का

टूर्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एन. आई. अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत अभियोजन बनाए रखने के लिए, कंपनी को एक आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है और कंपनी का गैर-प्रवर्तन शिकायत के लिए घातक होगा।उक्त निर्णय से निम्नलिखित निष्कर्ष निकालना प्रासंगिक हो सकता हैः- ए.

/

/

117

पवन कुमार गोल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

“58. सख्त निर्माण के सिद्धांत को लागू करते हुए, हम हैं

माना जाता है कि कंपनी द्वारा अपराध करना दूसरों के प्रत्यावर्ती दायित्व को आकर्षित करने के लिए एक स्पष्ट शर्त है।इस प्रकार, धारा में दिखाई देने वाले "कंपनी के साथ-साथ कंपनी" शब्द यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो केवल अन्य श्रेणियों में उल्लिखित व्यक्ति ही याचिका में दिए गए कथनों और उसके प्रमाण के अधीन अपराध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।कोई भी इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकता है कि कंपनी एक न्यायिक व्यक्ति है और इसकी अपनी सम्माननीयता है।यदि इसके खिलाफ कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो यह इसकी प्रतिष्ठा में असंगति पैदा करेगा। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं जब किसी निदेशक को दोषी ठहराए जाने पर निगम की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

/

/

59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम इस अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत अभियोजन बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है।अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल प्रत्यावर्ती दायित्व की कसौटी पर ही फंसाया जा सकता है क्योंकि यही प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है। "

/

22. उपरोक्त निर्णय में की गई टिप्पणियां भी अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों का एक पूर्ण उत्तर है कि एन. आई. अधिनियम के अंतर्गत किसी भी निषेध के अभाव में, शिकायत में संशोधन की अनुमति है और शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को शामिल करने से रोका नहीं जाएगा।इस समय हम निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं -

/

एन. हरिहर कृष्णन बनाम जे. थॉमस (सुप्रा) के मामले में बनाया गयाः-

/

“26. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दंडित करने में अभियोजन की योजना दंड प्रक्रिया संहिता की योजना से अलग है। धारा 138 एक अपराध का सृजन करती है और सजा निर्धारित करती है।अपराध की जाँच के लिए कोई प्रक्रिया पर विचार नहीं किया गया है।चेक पाने वाले द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर अभियोजन शुरू किया जाता है।जाहिर है कि ऐसी शिकायतों में धारा 138 के अंतर्गत अपराध के प्रत्येक तत्व का गठन करने वाले तथ्यात्मक आरोप होने चाहिए।वे सामग्री इस प्रकार हैंः(1) कि एक व्यक्ति ने बैंकर के साथ अपने द्वारा रखे गए खाते पर एक चेक निकाला; (2) कि ऐसा चेक जब बैंक को प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है; (3)

/

/

कि ऐसा चेक बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया था; (4) कि प्राप्तकर्ता ने चेक के दराज से प्राप्तकर्ता को चेक के अंतर्गत देय राशि के भुगतान की लिखित रूप में मांग की; और (5) भुगतान की ऐसी सूचना, प्राप्तकर्ता द्वारा चेक को भुगतान न किए जाने के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दी जाती है।धारा 138 की योजना से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सामग्री एक दस्तावेज से प्रवाहित होती है जो इस तरह के घटक के अस्तित्व का प्रमाण देती है।धारा 138 के अंतर्गत अपराध को स्थापित करने के लिए एकमात्र अन्य घटक जिसे साबित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि ऊपर निर्दिष्ट मांग सूचना के बावजूद, चेक का दराज मांग की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहा।एक तथ्य जिसे शिकायतकर्ता केवल दावा कर सकता है लेकिन

साबित नहीं कर सकता है, यह साबित करने का बोझ अनिवार्य रूप से चेक के दराज पर होगा कि उसने वास्तव में मांग के अनुसार भुगतान किया था।

/

/

/

27. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति से, अपराध का गठन करने वाला पहला घटक यह तथ्य है कि एक व्यक्ति ने चेक निकाला है।चेक खींचने वाले की पहचान अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता (प्राप्तकर्ता) को ज्ञात होनी चाहिए और जांच की आवश्यकता होती है और आम तौर पर तब तक विवाद में नहीं होगी जब तक कि जिस व्यक्ति पर चेक खींचने का आरोप है, वह उस तथ्य पर विवाद नहीं करता है।चेक निकालने वाले व्यक्ति की सजा को सुरक्षित करने के लिए अन्य तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता है जो अंततः अपमानित हो गए कि चेक के प्राप्तकर्ता ने वास्तव में अभियोजन शुरू करने से पहले अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत विचार किए गए प्रत्येक कदम का पालन किया था।क्योंकि इस न्यायालय द्वारा पहले ही यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि धारा 138 के अंतर्गत विचार किए गए किसी भी कदम का पालन करने में विफलता "अभियोजन के लिए कार्रवाई का कारण" प्रदान नहीं करेगी।इसलिए, धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन के संदर्भ में, अपराध का संज्ञान लेने की अवधारणा लेकिन अपराधी को नहीं लेना उचित नहीं है।जब तक शिकायत में धारा 138 के अंतर्गत अपराध के प्रत्येक घटक का गठन करने वाले सभी आवश्यक तथ्यात्मक आरोप नहीं होते हैं, तब तक न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है।ए के नाम का प्रकटीकरण

/

/

/

/

चेक लेने वाला व्यक्ति तथ्यात्मक आरोपों में से एक है जिसे रोकने के लिए शिकायत की आवश्यकता होती है।अन्यथा धारा 138 के अंतर्गत अपराध की जांच करने के लिए विधि के किसी भी अधिकार के अभाव में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके खिलाफ न्यायालय आगे बढ़ सके।अभियुक्त के बिना अभियोजन नहीं हो सकता है।धारा 138 के अंतर्गत अपराध व्यक्ति

विशिष्ट है।इसलिए, संसद ने धारा 142 के अंतर्गत घोषणा की कि दंड प्रक्रिया संहिता में निहित संज्ञान लेने से संबंधित प्रावधानों को धारा 142 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को रास्ता देना चाहिए।इसलिए धारा 142 के अंतर्गत गैर-बाध्यकारी खंड का उद्घाटन।यह भी याद रखना चाहिए कि धारा 142 या तो पुलिस को रिपोर्ट देने पर विचार नहीं करती है या न्यायालय को पुलिस को शिकायत की जांच करने का निर्देश देने के लिए संज्ञान लेने के लिए अधिकृत नहीं करती है।

/

/

28. यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी के पास अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि के भीतर दक्षिण के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करने का पर्याप्त कारण था, नीचे दी गई किसी भी अदालत द्वारा जांचा नहीं गया है।जैसा कि सही बताया गया है, आवेदन, जो कथित रूप से धारा 319 सी. आर. पी. सी. का आह्वान करते हुए दायर की गई तत्काल अपील का विषय है, केवल एक उपकरण है जिसके द्वारा प्रतिवादी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा की अवधि से परे दक्षिण के खिलाफ अभियोजन शुरू करना चाहता है।

/

/

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें कि शिकायत दर्ज करने के बाद एक अतिरिक्त आरोपी को शामिल किया जा सकता है, एन. आई. अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के लिए निर्धारित सीमा समाप्त होने के बाद कोई विचार योग्य नहीं है।विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न तो याचिकाकर्ता द्वारा कार्यवाही के किसी भी चरण में कंपनी को अभियुक्त के रूप में आरोपित करने का कोई प्रयास किया गया था और न ही ऐसी किसी परिस्थिति या कारण को इंगित किया गया है जो न्यायालय को धारा 142 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत नहीं करने के लिए देरी को माफ किया जा सके।

/

/

24. अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स प्रा. लि. के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा रिलायंस रखा गया। लिमिटेड (सुप्रा) भी पूरी तरह से गलत है क्योंकि उक्त मामले का अनुपात निर्णय अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क के विपरीत है।रिपोर्ट के पैराग्राफ 59 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को निकालना प्रासंगिक हो सकता हैः-

/

“59. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को देखते हुए, हम इस अटूट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत अभियोजन बनाए रखने के लिए, एक कंपनी को आरोपी के रूप में आरोपित करना अनिवार्य है।अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल प्रत्यावर्ती देयता की कसौटी पर ड्रैग-नेट में लाया जा सकता है क्योंकि यही प्रावधान में ही निर्धारित किया गया है।हम ऐसा सी. वी. पारेख में निर्धारित अनुपात के आधार पर कहते हैं जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है।इस प्रकार, श्योरतन अग्रवाल में व्यक्त विचार विधि को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और तदनुसार, इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।अनिल हाडा में निर्णय को क्वालीफायर के साथ खारिज कर दिया गया है जैसा कि पैरा 51 में कहा गया है।मोदी डिस्टिलरी में निर्णय को अपने स्वयं के तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए जैसा कि हमने यहाँ ऊपर समझाया है। "

/

/

25. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि भले ही प्रतिवादी नहीं। 2 को एक प्रत्यर्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसा कोई कथन नहीं है जो प्रत्यर्थी नहीं है।2 जिस समय अपराध किया गया था, वह कंपनी का प्रभारी था और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था।शिकायत में किए गए कथनों को नीचे दोहराया जा रहा हैः-

/

“शिकायतकर्ता निम्नलिखित लिखित निवेदन करता हैः- 1. कि शिकायतकर्ता की एक फर्म है जो कारखानों की मशीनरी में उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की सामग्रियों का सौदा करती है।

/

2. प्रतिवादी की फर्म मेसर्स रवि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक रासायनिक कारखाना है और प्रतिवादी-फर्म की मशीनरी में उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति शिकायतकर्ता द्वारा की जाती है।दोनों फर्मों के पुराने व्यापारिक संबंध हैं और वे एक-दूसरे के साथ व्यापार करते हैं।

/

3. प्रतिवादी ने एक खाता प्राप्तकर्ता चेक दिया जिस पर सं. सं. था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरनगर के 802276 रुपये-(दस लाख रुपये) के बकाया बिल के खिलाफ शिकायतकर्ता को 20.11.2012 पर और उसे संकेत मिलने के बाद उसे नकदीकरण के लिए अपने बैंक में पेश करने के लिए कहा।

/

4. शिकायतकर्ता द्वारा कई बार दावा करने के बाद, 15.12.2012 पर प्रतिवादी ने शिकायतकर्ता से चार-पाँच दिनों के बाद अपने बैंक में उक्त चेक को पेश करने के लिए कहा, शिकायतकर्ता का मानना था कि इसे मंजूरी दे दी जाएगी।

/

121

पवन कुमार गोल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

/

5. 21.12.2012 पर, शिकायतकर्ता ने अपने ए/सी नंबर 55042570994 के पक्ष में भुनाने के लिए अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, न्यायालय रोड, मुजफ्फरनगर में उक्त चेक प्रस्तुत किया।24.12.2012 पर, उन्हें उनके बैंक द्वारा सूचित किया गया था कि चेक राशि प्रतिवादी के बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 22.12.2012 पर की गई व्यवस्था से अधिक है और इस प्रकार, उक्त चेक का अनादर किया गया था।

/

6. चेक का अनादर करने पर (अतिरिक्त व्यवस्था की टिप्पणी के साथ), शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से प्रतिवादी को उसके उपरोक्त पते पर एक पंजीकृत नोटिस जारी किया जो बचाव पक्ष को 01.01.2013 पर प्राप्त हुआ था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी, प्रतिवादी ने अब तक शिकायतकर्ता को उपरोक्त भुगतान नहीं किया है।

/

7. प्रतिवादी-अभियुक्त ने जानबूझकर शिकायतकर्ता का पैसा हड़पने के इरादे से उपरोक्त चेक दिया, जिसका बैंक में अपमान किया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी-अभियुक्त परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का दोषी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप आरोपी को तलब करें और उसे एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को उपरोक्त चेक राशि का दोगुना भुगतान करने के निर्देश के साथ दंडित करें। शिकायतकर्ता आपके प्रति बाध्य रहेगा। "

/

/

26. यह प्रश्न कि क्या शिकायत में विशेष रूप से यह बताना आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के प्रभारी था या उसके संचालन के लिए जिम्मेदार था, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अन्य प्रश्न ों के साथ संदर्भ का विषय था जिन पर एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लिया जाना था।निम्नलिखित प्रश्नों को विचार के लिए भेजा गया थाः-

/

“ (क) क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के प्रयोजनों के लिए, यह पर्याप्त है यदि आरोप का सार समग्र रूप से पढ़ा जाए तो उक्त धारा की आवश्यकताओं को पूरा करता है और शिकायत में विशेष रूप से यह बताना आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन का प्रभारी या जिम्मेदार था।(ख) क्या किसी कंपनी के निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और जिम्मेदार माना जाएगा और इसलिए, अपराध का दोषी माना जाएगा, जब तक कि वह इसके विपरीत साबित न हो जाए।

/

/

(ग) भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विशिष्ट अभिकथन आवश्यक हैं, चाहे ऐसे अभिकथनों के अभाव में चेक का हस्ताक्षरकर्ता और या प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक जो कंपनी के प्रभारी होंगे और कंपनी के लिए उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे, के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। "

/

27. एस**.** एम**.** एस**.** फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मामले में तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ। बनाम। नीता भल्ला **(**सुप्रा**),** अधिनियम की धारा **141** के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते हुए और विशेष रूप से

शब्द "जो, अपराध किए जाने के समय, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी थे, और कंपनी के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें माना जाएगा।

/

अपराध आदि का दोषी होना।” उक्त खंड अंतर्गत उपयोग किया गया, जिसे निम्नानुसार देखा गया हैः-

“अधिनियम की धारा 141 का विश्लेषण करते समय यह देखा जाएगा कि यह उन मामलों में काम करता है जहां किसी कंपनी द्वारा धारा 138 के अंतर्गत अपराध किया जाता है।खंड में आने वाले मुख्य शब्द "प्रत्येक व्यक्ति" हैं।ये सामान्य शब्द हैं और किसी कंपनी से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायरे में लेते हैं।इसलिए, इन शब्दों को इन शब्दों के उपयोग से उचित रूप से योग्य बनाया गया हैः

/

/

“जो अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था, उसे अपराध आदि का दोषी माना जाएगा। "

यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को धारा 141 के अंतर्गत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की जाती है, उन्हें अपराध किए जाने के समय कंपनी का प्रभारी और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।कंपनी से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा।केवल वही व्यक्ति हैं जो अपराध के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, जो आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।इससे यह पता चलता है कि यदि किसी कंपनी का निदेशक जो संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं था और जिम्मेदार नहीं था, तो वह प्रावधान के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं होगा।द ए.

/

/

/

123

पवन कुमार गोल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [कृष्णा मुरारी, जे.] ए.

दायित्व अपराध के समय संगत समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने से उत्पन्न होता है, न कि केवल किसी कंपनी में पदनाम या पद धारण करने के आधार पर।इसके विपरीत, एक व्यक्ति जो किसी कंपनी में कोई पद या पद नहीं रखता है, वह उत्तरदायी हो सकता है यदि वह प्रासंगिक समय पर किसी कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होने की मुख्य आवश्यकता को पूरा करता है।देयता कंपनी के मामलों में किसी की भूमिका पर निर्भर करती है न कि पदनाम या स्थिति पर।यदि निदेशक या प्रबंधक या सचिव होना आपराधिक दायित्व डालने के लिए पर्याप्त था, तो अनुभाग ने ऐसा कहा होगा।"प्रत्येक व्यक्ति" के बजाय अनुभाग ने कहा होगा कि "कंपनी में प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक या सचिव उत्तरदायी है।" आदि।विधायिका इस बात से अवगत है कि यह आपराधिक दायित्व का मामला है जिसका अर्थ है कि जहां तक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है, उसके गंभीर परिणाम हैं।इसलिए, केवल उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्हें संबंधित समय पर अपराध करने से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है।11. धारा 141 की उप-धारा (2) का संदर्भ उपरोक्त तर्क को मजबूत करता है क्योंकि उप-धारा (2) में किसी अपराध में कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की प्रत्यक्ष भागीदारी की परिकल्पना की गई है।यह धारा तब संचालित होती है जब किसी मुकदमे में यह साबित हो जाता है कि अपराध सहमति या मिलीभगत से किया गया है या किसी कंपनी में इन कार्यालयों के

किसी भी धारक की ओर से उपेक्षा के कारण है।ऐसे मामले में, ऐसे व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए उनकी साबित संलिप्तता के मामलों में उन्हें कवर करने का प्रावधान किया गया है।

/

/

/

/

/

12. यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि दायित्व किसी व्यक्ति के आचरण, कार्य या चूक के कारण उत्पन्न होता है, न कि केवल किसी कंपनी में पद या पद धारण करने के कारण।इसलिए, अधिनियम की धारा 141 के भीतर एक मामले को लाने के लिए शिकायत को आवश्यक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए जो एक व्यक्ति को उत्तरदायी बनाते हैं। "

/

28. तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम बृज के मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर भी ध्यान दिया।

/

लाल मित्तल और अन्य। 8, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध के लिए मुकदमा चलाए जाने के लिए किसी व्यक्ति का प्रत्यावर्ती दायित्व तब उत्पन्न होता है जब वह भौतिक समय पर कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए भी जिम्मेदार था।सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का निदेशक है, इसका जरूरी मतलब यह नहीं है कि वह उपरोक्त दोनों आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके।इसके विपरीत, एक निदेशक के बिना एक व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हो सकता है।

/

29. पीठ ने इस न्यायालय के कथन पर भी विचार किया

केपीजी का मामला। नायर बनाम जिंदल मेन्थॉल इंडिया लिमिटेड **9,** जो एक

परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत मामला। उक्त मामले में, यह पाया गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट शब्दों में या उसमें निहित आरोपों के संदर्भ में ऐसा मामला नहीं बनाते हैं कि अपराध करने के समय, अपीलार्थी कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 141 की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया और अभियुक्त के खिलाफ शिकायत को रद्द कर दिया गया।

/

/

30. उपरोक्त और विभिन्न अन्य घोषणाओं का विश्लेषण करने के बाद, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 अंतर्गत कहाः-

“18. संक्षेप में, लगभग सर्वसम्मत न्यायिक राय है कि किसी व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया के अधीन करने से पहले शिकायत में आवश्यक कथन शामिल किए जाने चाहिए।अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत किसी कंपनी से जुड़े व्यक्ति पर अप्रत्यक्ष रूप से देयता निर्धारित करने की मांग की जाती है, जिसमें प्रमुख अभियुक्त कंपनी ही होती है।यह प्रत्यावर्ती दायित्व के खिलाफ आपराधिक विधि में नियम से एक विचलन है।जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है, उसके खिलाफ शिकायत में एक स्पष्ट मामला लिखा जाना चाहिए।अधिनियम की धारा 141 में उक्त प्रावधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उत्तरदायी बनाने की आवश्यकताएं शामिल हैं।वह प्रत्यर्थी धारा 141 के मापदंडों के भीतर आता है जिसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत की जांच सबसे पहले उसमें निहित कथनों के आधार पर की जानी चाहिए।यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट होता है कि ऐसे कथन हैं जो मामले को धारा 141 के भीतर लाते हैं तो वह प्रक्रिया जारी करेगा।हमने देखा है कि केवल वर्णित किया जा रहा है

/

/

/

8 (1998) 5 एससीसी 343 9 (2001) 10 एससीसी 218 ए

/

किसी कंपनी में निदेशक के रूप में धारा 141 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।यहां तक कि एक गैर-निदेशक भी अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी हो

सकता है। शिकायत में किए गए अभिकथन इस उद्देश्य को भी पूरा करेंगे कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहता है, उसे पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ क्या मामला है।यह उसे मुकदमे में मामले का सामना करने में सक्षम बनाएगा। "

/

31. पीठ ने संदर्भ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दियाः-

“19. (क) धारा 141 के अंतर्गत शिकायत में विशेष रूप से यह कहना आवश्यक है कि जिस समय अपराध किया गया था, उस समय आरोपी व्यक्ति कंपनी का प्रभारी था और कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था।यह अभिकथन धारा 141 की एक अनिवार्य आवश्यकता है और इसे एक शिकायत में किया जाना है।शिकायत में इस कथन के बिना, धारा 141 की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कहा जा सकता है।(ख) उप-पैरा (ख) में पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए।केवल किसी कंपनी का निदेशक होना व्यक्ति को अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी कंपनी में निदेशक को कंपनी का प्रभारी और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। धारा 141 की आवश्यकता यह है कि जिस व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए, वह संबंधित समय पर कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होना चाहिए। इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में निदेशक का कोई दायित्व नहीं माना जाता है।

/

/

/

(ग) प्रश्न (ग) का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए।प्रश्न में कहा गया है कि प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक कंपनी के प्रभारी होंगे और अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी होंगे।जब ऐसा होता है, तो कंपनी में ऐसे पदों के धारक अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी हो जाते हैं। प्रबंध निदेशक या संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में उनके पद के आधार पर, ये व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार होते हैं।इसलिए, वे धारा 141 के अंतर्गत आते हैं।जहाँ तक अनादर किए गए चेक के हस्ताक्षरकर्ता का संबंध है, वह स्पष्ट रूप से दोषारोपण अधिनियम के लिए जिम्मेदार है और धारा 141 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कवर किया जाएगा। "

/

/

/

/

[2022] 10 एस सी आर।

32. ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के साथ वर्तमान मामले के निर्विवाद तथ्यों को देखते हुए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 और आक्षेपित आदेश और कार्यवाही को रद्द करना।

33. इस प्रकार, आक्षेपित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।नतीजतन, अपील विफल हो जाती हैं और तदनुसार, खारिज हो जाती हैं।

/

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

/

/

/

/

/

/